District Health Society, Nalanda
जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा

सदर अस्पताल परिसर, बिहारशरीफ–803101

Sadar Hospital Campus, Biharsharif- 803101

पत्रांक : 1085 (C.S.)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा।

9/4/2014

सेवा में,

जिला पंचायती राज्य, पदाधिकारी, नालन्दा जिला।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा,
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
(आई0सी0डी0एस0) नालन्दा।
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
(आई0सी0डी0एस0) नालन्दा जिला।

बिहारशरीफ, दिनांक 07 / 04 / 2014

विषय : **नालन्दा जिला में तंवाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) के प्रभावी अनुपालन एवं संस्थानीकरण के संबंध में।**

महाशया / महाशय,

आप अवगत होगें कि तंबाकू गैर संचारी रोग का एक प्रमुख कारण है इसको Single Biggest Killer की संज्ञा दी गई है। लगभग 27 करोड़ भारतीय तंवाकू सेवन करतें है। बिहार में 51 प्रतिशत लोग (66 प्रतिशत पुरूष एवं 40 प्रतिशत महिला) तंवाकू का सेवन करते हैं।

चीन के बाद भारत विश्व का दुसरा तंवाकू सेवन करने वाला देश है एवं उत्पादन में इसका चीन एवं ब्राजीले के बाद तीसरा स्थान है।

बिहार राज्य में तंवाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा 2003 के प्रभावी अनुपालन एवं संस्थानीकरण करने में स्वास्थ्य विभाग के अलावे अन्य विभागों यथा– शिक्षा विभाग, गृह विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वित्त वाणिज्यकर विभाग, कृषि विभाग, श्रम संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समाज कल्याण विभाग, परिवहण विभाग, प्रर्यटन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग से अपेक्षित सहयोग की आशा है।

इस क्रम में मुख्य रूप से शिक्षा विभाग पंचायत राज विभाग एवं समाज कल्याण विभाग अपना दायित्व को निभा सकती है जिसकी भुमिका एवं अपेक्षाऐं निम्न है।

शिक्षा विभाग :– विद्यालयों में तम्बाकू से निर्मित पदार्थो, गुटखा आदि से होने वाले शरीरिक एवं मानसिक विसंगतियों और गंभीर बिमारी के बारे में बच्चों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलाया जाय क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य है। शिक्षण संस्थानों के निश्चित दायरे (100 गज) के अंदर किसी भी तम्बाकू पदार्थ यथा गुटखा, पान मशाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया जाए एवं इससे संबंधित बोर्ड भी प्रदर्शित किये जाये। इसके अलावे स्कूली बच्चों को तंबाकू उपयोग से होने वाले खतरों से अवगत कराने के साथ–साथ प्रभात फेरी के माध्यम से बच्चों के साथ–साथ आम जनों को भी तंबाकू उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव एवं संबंधित खतरों पर वाद–विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए, छात्रों को जागरूक बनाया जा सकता है।

स्कूलों में बच्चों का एक बिग्रेड का गठन किया जाये, जिनका कार्य होगा कि वैसे स्कूली बच्चों, जो धूम्रपान के आदी है कि पहचान करते हुए प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे ताकि प्रधानाध्यापक वैसे बच्चों की काउंसलिंग का प्रयास कर सके।

फोन नं0 :– 06112–230414, 230808, फैक्स नं0 :– 06112–230820

वेवसाईट– http://dhsnalanda.bih.nic.in ई–मेल :– dhsnalanda@rediffmail.com, dhsnalanda@gmail.com

विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात् तंबाकू उपयोग से होने वाले खतरों से बच्चों को अवगत कराया जाय तथा संकुल संसाधन केन्द्र तथा प्रधानाचार्यों के साथ–साथ अन्य बैठकों में भी इस संबंध में चर्चा की जाय।

समाज कल्याण विभाग : बिहार में तम्बाकू का उपयोग एक सामाजिक समस्या भी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 केन्द्रों पर भी तम्बाकू के गंभीर खतरे के बारे में प्रचार–पसार किया जाय। अपने विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

पंचायती राज विभाग :– पंचायती राज विभाग तम्बाकू नियंत्रण के अंतर्गत प्रचार–प्रसार कर गाँव–गाँव तक पहूँचाने में सहयोग कर सकती है। इस प्रकार पंचायती राज विभाग द्वारा गाँव अथवा पंचायत को "तम्बाकू मुक्त" घोषित करने से इसका संदेश दूर–दूर तक फैलेगी।

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने विभागों से अपेक्षित सहयोग देना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–
जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा।

ज्ञापांक 1085(C.S.)/ बिहारशरीफ, दिनांक 07/04/2014

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक सीड्स (Seedsdelhi@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सूचित करते हुए निदेशित है कि NIC के बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि : श्री राम निरंजन सिंह, जिला पंचायत, पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी–सह–समन्वयक, जिला तंवाकू नियंत्रण कोषांग नालंन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, राज्य तंवाकू नियंत्रण कोषांग राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (ntcpbihar@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

3/4/17

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा।